न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 06/24 दायरा दिनांक 28.05.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

सरवन सिंह पुत्र जोगेद्र सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी गुरूनानक कालोनी सहरोल तलेटी तहसील शाहाबाद जिला बांरा –प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक– 11.07.2024

उपस्थित, प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सहरोल तलेटी पटवार हल्का शाहावाद में खाता संख्या पुराना 489 नया 509 के आराजी ख.सं. 798/1 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी की है प्रार्थी बतौर खातेदार भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूमि का सीमांकन पत्थरगढी नहीं होने से भूमि का सीमांकन नहीं है। अतः आराजी ख.सं. 798/1 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ ग्राम सहरोल तलेटी पर पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सहरोल तलेटी सेटलमेंट से सम्बन्धित ग्राम है, मौके पर खातेदार का कब्जा है, परन्तु पत्थरगढी नहीं होने से मौका स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है अतः सेटलमेन्ट के पश्चात ही सही स्थिति ज्ञात हो पायेगी। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सहरोल तलेटी सम्वत 2072–75 अनुसार आराजी ख.सं. 798/1 रकबा 5.00 बीघा प्रार्थी के खाते दर्ज है मौके पर कब्जा काश्त भी है, परन्तु रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार ग्राम सहरोल तलेटी सेटलमेन्ट हेतु चिन्हित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेश दिया जाता है कि यदि नक्शा सही हो और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो तो प्रार्थी के खाते की विवादित ख.सं. 798/1 रकबा 5.00 बीघा ग्राम सहरोल तलेटी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11.07.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:25 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner